चतुर्थ सत्र

1	श्री आनंदी प्रसाद यादव	ग्राम्य-78	42
2	श्री आलोक रंजन	पथ-18, ग्राम्य-47	42-43
3	श्री अरूण शंकर प्रसाद	ए-18, द-25	43-44
4	श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय	पंच-3	44
5	श्री अरूण कुमार सिन्हा	इ-1	44-45
6	श्रीमती अमला देवी	पथ-8	45
7	प्रो० चन्द्रशेखर	ट-8	45-46
8	श्रीमती देवंती यादव	ग्राम्य-70, रा-8	46
9	श्री हरिनारायण सिंह	ग्राम्य-82	47
10	श्री जनार्दन मांझी	खा-5	47-48
11	श्री कृष्णनंदन यादव	लघु-9, ग्राम्य-64	48
12	श्रीमती लेशी सिंह	ग्राम्य-49	49
13	श्री मनोहर प्रसाद सिंह	रा-1	49
14	श्रीमती मुन्नी देवी	ई-1	50
15	श्री मनीष कुमार	ए-28	50-51
16	श्री मंजीत कुमार सिंह	रा-7	51
17	श्री नौशाद आलम	ग्राम्य-55, 58	51-52
18	श्री पद्म पराग राय वेणु	ग्राम्य-21, 20	52-53
19	श्री प्रदीप कुमार	ऐ-1	53-54
20	श्री रामायण मांझी	रा-2	54
21	श्री रत्नेश सादा	ग्राम्य-1	54-55
22	श्री रामप्रवेश राय	खा-7	55
23	श्री रमेश ऋषिदेव	ग्राम्य-32	56
24	श्री राणा गंगेश्वर सिंह	ग्राम्य-62	56
25	श्री राहुल कुमार	पंच-2	57
26	श्री सबा जफर	ग्राम्य-41	57
27	श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार	ग्राम्य-73	57-58
28	श्री शिवेश कुमार	ग्राम्य-09	58
29	श्री शशिभूषण हजारी	द-51	58-59
30	श्री विनोद प्रसाद यादव	ग्राम्य-10	59
31	श्री विनोद कुमार सिंह	ग्राम्य-43	59-60

पुल का निर्माण

ग्राम्य-78. श्री आनन्दी प्रसाद यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अन्तर्गत एवीएम-सिकटी पथ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित हो गया है परन्तु इस सड़क में 0.65 कि०मी०, 1.05 कि०मी०, 2.00 कि०मी०, 9.09 कि०मी०, 12.03 कि०मी०, 18.09 कि०मी० में अभीतक टेंडर का निष्पादन नहीं होने के कारण पुल का निर्माण नहीं हो सका है, यदि हां, तो क्या सरकार टेंडर का निष्पादन कराते हुये उक्त सारे स्थानों पर पुल का निर्माण करना चाहती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन अररिया जिलान्तर्गत एवीएम-सिकटी पथ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित हो गया है, परन्तु इस सड़क में 0.65 कि०मी०, 1.05 कि०मी०, 2.00 कि०मी०, 9.09 कि०मी०, 12.03 कि०मी०, 18.09 कि०मी० में क्रमश: 49 मीटर, 43.89 मीटर, 39. 5 मीटर, 45.9 मीटर, 45.75 मीटर एवं 73.25 मीटर की लम्बाई में उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु केन्द्रीय एजेंसी एन०बी०सी०सी० द्वारा माह जून, 2011 तक कुल पाँच बार निविदा आमंत्रित की गई । निविदा में किसी निविदाकार के भाग नहीं लेने के कारण प्रश्नाधीन वर्णित स्थलों पर पुल का निर्माण अभीतक नहीं कराया जा सका है । इस बीच दिनांक 14 सितम्बर, 2011 एवं 20 सितम्बर, 2011 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार केन्द्रीय एजेंसी एन०बी०सी०सी० द्वारा कार्यान्वित होनेवाली योजनाओं का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया है । अब नये सिरे से इन स्थलों पर पुल निर्माण हेतु सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

पुल का निर्माण

पथ-18. श्री आलोक रंजन--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सौर बाजार प्रखंड के भमटिया से सुहथ-कचरा होते हुए विजयपुर चौक तक जाने वाली सड़क में सुहथ गाँव के नजदीक अवस्थित पुल एवं कचरा गाँव के पास अवस्थित पुल 2008 की बाढ़ में ध्वस्त हो गया है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों पुलों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन सहरसा जिलान्तर्गत सौर बाजार प्रखंड के भमटिया से सुहथ-कचरा होते हुए विजयपुर चौक तक जाने वाली सड़क में सुहथ गाँव के नजदीक 65 मीटर की लम्बाई में उच्चस्तरीय पुल के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है । अभी इस पुल के पुनर्निर्माण की कोई योजना नहीं है।

पथ का जीर्णोद्धार

ग्राम्य-47. श्री आलोक रंजन--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सौर बाजार प्रखंड के भाटिया से सुहथ-कचरा होते हुए विजयपुर चौक तक ग्रामीण कार्य विभाग का पथ वर्ष 2008 के बाढ़ में जर्जर हो गया है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पथ का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन सहरसा जिला अन्तर्गत सौर बाजार प्रखंड के भाटिया से सुहथ-कचरा होते हुए विजयपुर चौक तक पथ की कुल लम्बाई 10 कि०मी० है । प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज I अन्तर्गत इस पथ के प्रारंभिक 3 कि०मी० पथांश का निर्माण कार्य ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा एवं शेष 7 कि०मी० पथांश का निर्माण कार्य केन्द्रीय एजेंसी, एन०बी०सी०सी० द्वारा कराया गया है जिससे संपोषण मद का प्रावधान नहीं था । वर्ष 2008 में कोशी नदी के तटबंध के टूटने के फलस्वरूप अप्रत्याशित बाढ़ के कारण प्रश्नाधीन पथ ओभरटॉपिंग के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है । अभी इस सड़क के जीर्णोद्धार की कोई योजना नहीं है ।

कार्रवाई करना

ए-18. श्री अरूण शंकर प्रसाद--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत-नेपाल के सीमावर्ती जयनगर अनुमंडल सहित आस-पास के इलाके में 2009-10 एवं 2010-11 में अपराधिक वारदात बढ़ गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि भारत-नेपाल सीमा पर 2001 से ही सशस्त्र सीमा बल तैनात किये गये हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि सशस्त्र सीमा बल के तैनाती के बावजूद नेपाल अपराधियों का दहशत सीमावर्ती क्षेत्रों में व्याप्त रहता है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक अपराधिक वारदातों को रोकने के लिए कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । पूर्व में प्रतिवेदित अपराधिक वारदातों के अपेक्षा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में अपराधिक वारादातों में कमी आयी है ।

(2) भारत-नेपाल सीमा पर वर्ष 2001 के बाद से सशस्त्र सीमा बल तैनात किये गये हैं ।

(3) अस्वीकारात्मक । ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(4) कंडिका (3) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

औषधालयों से चिकित्सकों को हटाना

द-25. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय हिन्दी दैनिक सामाचार-पत्र में दिनांक 22 अक्टूबर, 2011 को प्रकाशित शीर्षक ''बंद है एक तिहाई जिला परिषद् औषधालय'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक एवं यूनानी औषधालयों की संख्या जिला परिषद् के अधीन 281 है, जिसमें मात्र 81 औषधालय ही कार्यरत है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त औषधालयों में पदस्थापित 50 प्रतिशत चिकित्सकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित किये जाने से कार्यरत 81 औषधालयों की स्थिति भी बंद होने के कगार पर हो गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त औषधालयों से चिकित्सकों को हटाने का औचित्य क्या है ?

प्रभारी मंत्री--(1) अंशत: स्वीकारात्मक । वर्तमान में जिला परिषद् के कुल 79 औषधालयों में आयुर्वेदिक होमियोपैथिक एवं यूनानी चिकित्सक कार्यरत हैं ।

(2) अस्वीकारात्मक । जिला परिषद् एवं स्वायतशासी निकाय है । इसकी चिकित्सकीय व्यवस्था ठीक ढंग से चालू नहीं रहने के कारण जिला परिषद के आयुष चिकित्सकों की सेवा राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लेने हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग से सहमति हेतु अनुरोध किया गया, स्वास्थ्य विभाग से सहमति प्राप्त हुआ, लेकिन इन चिकित्सकों के वेतनादि के भुगतान एवं सेवाशर्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाने की स्थिति में आयुष चिकित्सकों का पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नहीं हुआ है ।

(3) कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

.जानकारी देना

पंच-3. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पंचदश बिहार विधान-सभा के द्वितीय सत्र में विभागीय बजट से गोपालगंज जिला के 127 विधान-सभा क्षेत्र के लिए आवंटित विभागीय राशि की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्नकर्ता ने अपने पत्रांक 269, दिनांक 30 मार्च, 2011 द्वारा विभागीय प्रधान सचिव को पत्र लिखा था;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जानकारी आजतक विभाग द्वारा प्राप्त नहीं करायी गयी है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रश्नकर्ता के उपरोक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं की जानकारी देना चाहती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । विभागीय पत्रांक 3265, दिनांक 29 अप्रील, 2011 द्वारा माननीय सदस्य को सूचना उपलब्ध करायी गयी है ।

(3) खंड (2) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

स्मारक का निर्माण

इ-1. श्री अरूण कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना के कंकड़बाग स्थित डिफेन्स कॉलोनी पार्क में शहीद स्मारक के निर्माण एवं राजेन्द्र नगर, रोड नं० 4 स्थित पार्क में पंडित दीन दयाल उपाध्याय की आदमकद मूर्ति लगाने के लिए 20 दिसम्बर, 2009 ई० में विभाग द्वारा शिलान्यास करने के बावजूद अबतक इनका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित शहीद स्मारक का निर्माण एवं आदमकद मूर्ति लगाने का विचार रखती है, कबतक, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) उपर्युक्त निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं है । जिलास्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है ।

पुल का निर्माण

पथ-8. श्रीमती अमला देवी--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज प्रखंड के कोरियापट्टी पश्चिम ईदगाह घाट पर पुल नहीं है जिससे आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल बनाने का विचार रखती है,यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज प्रखंड के कोरियापट्टी पश्चिम ईदगाह घाट पर 60 मीटर की लम्बाई में उच्चस्तरीय पुल निर्माण की आवश्यकता है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है ।

ठोस उपाय करना

ट-8. प्रो० चन्द्रशेखर--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2009-10 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 26 फिसदी से घटकर 19 फिसदी हो गयी है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सकल घरेलू उत्पादन में कृषि के योगदान को बढ़ाने हेतु ठोस उपाय करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2009-10 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 21.57 प्रतिशत था । वर्ष 2004-05 में कृषि क्षेत्र का योगदान 28.03 प्रतिशत था ।

(2) वस्तुस्थिति इस प्रकार है:--

(राशि करोड़ रु० में)

वर्ष	चालू मूल्य पर कुल सकल घरेलू उत्पाद ।	कृषि क्षेत्र का योगदान ।	कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान ।
2004-05	77781.16	21805.44	28.03
2009-10	175245.22	37794.34	21.57

वर्ष 2004-05 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 21 हजार 8 सौ 5 करोड़ 44 लाख रुपये था । वर्ष 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़कर 37 हजार 7 सौ 94 करोड़ 34 लाख हो गया है । इस प्रकार से वर्ष 2004-05 की तुलना में कृषि क्षेत्र के योगदान में 73.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

जहांतक कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान में प्रतिशत कमी का प्रश्न है तो यह इस कारण से हो रहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है एवं सभी क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि हो रही है । वर्ष 2004-05 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 77 हजार 7 सौ 81 करोड़ 16 लाख रुपये था जो वर्ष

2009-10 में बढ़कर 1 लाख 75 हजार 2 सौ 45 करोड़ 22 लाख रुपये हो गया है । इस प्रकार से वर्ष 2004-05 की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में 125.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

राज्य में खेती के तेजी से विकास के लिए कृषि रोड मैप लागू किया जा रहा है । फसल के साथ-साथ उद्यान, पशुपालन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ चलायी जा रही है । वर्तमान कृषि रोड मैप 31 मार्च, 2012 को पूर्ण हो जायेगा । इसके बाद एक नया रोड मैप लागू किया जायेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कृषि कैबिनेट का गहन किया गया है । वर्ष 2017 तक 2022 तक के लिए कृषि विकास का एक समग्र रोडमैप तैयार किया जा रहा है जो अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जायेगा ।

पथ का निर्माण

ग्राम्य-7. श्रीमती देवंती यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के भरगामा प्रखंड अन्तर्गत मुरलिया चौक रमना टोला से मध्य विद्यालय, जयनगर तक का ग्रामीण पथ क्षतिग्रस्त है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । प्रश्नाधीन अररिया जिला के भरगामा प्रखंड अंतर्गत मुरलिया चौक रमना टोला से मध्य विद्यालय, जयनगर तक पथ की लम्बाई 1.5 कि०मी० है जो कच्ची सड़क है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है । अभी इस सड़क के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

अंचलाधिकारी का पदस्थापन

रा-8. श्रीमती देवन्ती यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के भरगामा प्रखंड में डेढ़ वर्षों से अंचलाधिकारी का पद रिक्त है, जिससे अंचल का कार्य बाधित हो रहा है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में अंचलाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भरगामा अंचल में अंचलाधिकारी का पद विभागीय अधिसूचना संख्या 159(3), दिनांक 30 जून, 2011 द्वारा श्री इन्दू भूषण श्रीवास्तव, अंचल अधिकारी, भरगामा के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त है ।

(2) भरगामा अंचल में अंचलाधिकारी के पद पर पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है ।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना

ग्राम्य-82. श्री हरिनारायण सिंह--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क चंडी लोक निर्माण विभाग सड़क से थरथरी (6 कि०मी०), एन०एच० 30ए के जैतीपुर से राजाबाद (13 कि०मी०) तथा नगरनौसा प्रखंड के एन०एच० 30ए के राजाघाट से लोहण्डा (13 कि०मी०) की महत्ता को देखते हुए पथ निर्माण विभाग के द्वारा एक वर्ष पूर्व अधिग्रहण किया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथों को पथ निर्माण विभाग में लेने हेतु ग्रामीण कार्य विभाग से अभीतक अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाने के कारण एतद संबंधी अग्रतर कार्रवाई अवरुद्ध है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन पथों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है । पथ निर्माण विभाग द्वारा अपने पत्रांक 5019(ई), दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 द्वारा दस पथों के साथ प्रश्नगत निम्नांकित तीन पथों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र की माँग की गई है:--

1. चण्डी-थरथरी पथ-- 6.5 कि०मी०
2. जैतीपुर (चण्डी)-हथकट्टा मोड़ पथ-- 11.00 कि०मी०
3. रामघाट-लच्छुबिगहा-लोहण्डा पथ-- 12.10 कि०मी० ।

(2) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है । रामघाट-लच्छुबिगहा-लोहण्डा पथ का अनापति प्रमाण-पत्र विभागीय अधिसूचना संख्या 18119, दिनांक 17 नवम्बर, 2011 द्वारा इस पथ, पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है ।

1. चण्डी--थरथरी पथ वर्तमान में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित है । विभागीय पत्रांक 18140,. दिनांक 17 नवम्बर, 2011 द्वारा पथ के हस्तांतरण पर विचार करने हेतु परियोजना प्रबंधक प्रधान मंत्री सड़क योजना से प्रतिवेदन की माँग किया गया है ।

2. जैतीपुर (चण्डी)-हथकट्टा मोड़ पथ (लालगंज से राजाबाद पथ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत एन०पी०सी०सी० लि० के द्वारा वर्ष 2006-07 से कार्य पाँचवर्षीय अनुरक्षण के साथ किया गया है । रखरखाव एवं दायित्व की अद्यतन स्थिति के संबंध में पत्रांक 4532, दिनांक 4 अप्रील, 2011 द्वारा प्रबंध निदेशक, एन०पी०सी०सी०, पटना से प्रतिवेदन की माँग एवं पुनः पत्रांक 15384, दिनांक 23 सितम्बर, 2011 द्वारा स्मारित किया गया है ।

(3) उपर्युक्त दो पथ रामघाट-लच्छुबिगहा-लोहण्डा एवं जैतीपुर (चण्डी)- हथकट्टा मोड़ के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर एवं दायित्वरहित पाये जाने पर पथों को शीघ्र हस्तांतरित कर दिया जायेगा ।

राशि का मिलान करना

खा-5. श्री जनार्दन मांझी--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन प्रमंडलीय प्रबंधक, बिहार राज्य फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, भागलपुर द्वारा मार्च/अप्रील, 2007 में जन-वितरण प्रणाली डीलरों द्वारा जमा किये गये 197 डिमांड ड्राफ्टों जिसका कुल मूल्य 0.24 करोड़ रुपये है, का मिलान रोकड़ पंजी तथा बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर से नहीं होने के कारण बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर तत्कालीन प्रमंडलीय प्रबंधक, भागलपुर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर से मिलान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) मामले की जाँच जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर द्वारा की जा रही है ।

(2) जिला प्रबंधक, भागलपुर जो प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा मार्च/अप्रील, 2007 में जन-वितरण प्रणाली के डीलरों द्वारा जमा किये गये ड्राफ्टों का मिलान रोकड़ पंजी तथा बैंक से किया जा रहा है तथा इसकी जाँच चल रही है । जाँच के क्रम में यदि अनियमितता पायी गई तो दोषी पदाधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी ।

पईन की सफाई

लघु-9. श्री (डॉ0) कृष्णनन्दन यादव--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के अतरी प्रखंड अन्तर्गत मानर बाँध से निकली पईन की सफाई नहीं होने से किसानों के फसल का उत्पादन संतोषजनक ढंग से नहीं हो पा रहा है तथा किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है, यदि हां, तो क्या सरकार मानर बाँध पईन की सफाई कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । योजना का सर्वेक्षण कराकर उपयोगी पाये जाने पर अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन पर विचार किया जायेगा ।

पुल का निर्माण

ग्राम्य-64. श्री (डॉ0) कृष्णनन्दन यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के खिजरसराय प्रखंड के खिजरसराय-श्रीपुर के सामने फल्गु नदी पर पुल का निर्माण आजतक नहीं हुआ है, जबकि यह पुल दो जिलों एवं कई प्रखंडों तथा एतिहासिक जगह बराबर को जोड़ती है;

(2) यदि हां, तो क्या सरकार फल्गु नदी पर खिजरसराय-श्रीपुर के सामने पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल पर पुल निर्माण हेतु नाबार्ड योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या 1एफ०2/2005-06 के द्वारा कार्य कराया जा रहा था । पुल की लम्बाई (21×21.57 मीटर) यानी 475 मीटर है परन्तु तकनीकी त्रुटि होने के कारण पाईल लोड टेस्ट एवं पाईल इंटीग्रीटी टेस्ट कराने की आवश्यकता हुयी, दोनों टेस्ट के लिए कोटेशन आमंत्रित किया गया है । जाँचफल प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । वर्तमान समय में इस योजना को नाबार्ड से वापस ले लिया गया है ।

पुलों का निर्माण

ग्राम्य-49. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला के धमदाहा प्रखंड अधीन नासीटोला धार तथा के० नगर प्रखंड अन्तर्गत चपिया धार एवं मोगलाहा घाट (प्रसाद पुर) में पुल निर्माण के अभाव में आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुल के निर्माण नहीं होने के कारण बरसात के समय इस क्षेत्र के दलित-आदिवासी-अतिपिछड़ी बाहुल्य जनता का सम्पर्क मुख्य पथ से कट जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त तीनों पुलों का निर्माण का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पूर्णियां जिला के धमदाहा प्रखंड अधीन नासीटोला धार तथा के० नगर प्रखंड अन्तर्गत चपिया धार एवं मोगलाहा घाट (प्रसाद पुर) में क्रमश: 2×18.75, 4×24.75 मीटर एवं 4×24.5 मीटर की लम्बाई में उच्चस्तरीय पुल निर्माण की आवश्यकता है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है । अभी इस सड़क के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

जमीन को अतिक्रमण से मुक्त

रा-1. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुंड अंचल, मौजा शहजादपुर में सर्वे खतियान में भारत सरकार के नाम से दर्ज थाना नं० 145, खाता नं० 144, खेसरा नं० 103 की जमीन श्रीमती अनुलता देवी, पति श्री उदय चौधरी एवं उनके परिवार के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर उसपर मकान बनाया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि हल्का कर्मचारी के 27 मार्च, 2010 और 18 सितम्बर, 2010 तिथियों को उपर्युक्त अतिक्रमण की जानकारी अंचल पदाधिकारी, शाहकुंड को दिये जाने के बावजूद उक्त सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं की जा सकी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारातमक हैं, तो क्या सरकार उक्त सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) अंचल अधिकारी, शाहकुंड द्वारा अतिक्रमण वाद सं० 5/10-11 प्रारंभ किया गया और अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2011 को पारित किया गया है । अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर से दंडाधिकारी एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्ति हेतु माँग पत्रांक 764, दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 से की गई है । एक पखवारे के अंदर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर ली जायेगी ।

(3) उपर्युक्त खंड (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है । जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 1290(6), दिनांक 7 दिसम्बर, 2011 द्वारा निदेश दिया गया है कि खंड (2) में दिये गये आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में जिला पदाधिकारी स्वयं जवाबदेह होंगे ।

पदाधिकारी पर कार्रवाई करना

ई-1. श्रीमती मुन्नी देवी--क्या मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक 889, दिनांक 11 सितम्बर, 2006 निर्गत है कि माननीय सदस्यों के लिखे पत्र पर प्राप्ति की सूचना 15 दिनों के अन्दर तथा कुल कार्रवाई से एक माह के अन्दर अवगत कराई जाय;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 228/11, दिनांक 3 अगस्त, 2011 स्मारित पत्रांक 244/11, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 से जिलाधिकारी, भोजपुर पत्रांक 229/11, दिनांक 1 सितम्बर, 2011, स्मारित पत्रांक 257/11, दिनांक 1 अक्टूबर, 2011 से अंचलाधिकारी, शाहपुर, भोजपुर, पत्रांक 176/11, दिनांक 11 जुलाई, 2011, स्मारित पत्रांक 249/11, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 से विद्युत कार्यपालक अभियंता, भोजपुर से जानकारी माँगी गई है परन्तु इनके द्वारा आजतक पत्र प्राप्ति तक की सूचना नहीं दी गयी है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारातमक हैं, तो सरकार कृतकार्रवाई से अवगत न कराने वाले पदाधिकारी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) माननीय सदस्या द्वारा पूर्व में भी उनके पत्र संख्या 733/10, दिनांक 3 दिसम्बर, 2010 द्वारा विद्युत् कार्यपालक अभियंता, विद्युत् आपूर्ति प्रमंडल, आरा से वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया था जिसका उत्तर विद्युत् कार्यपालक अभियंता, आरा द्वारा दिनांक 2 मई, 2011 को माननीय सदस्या को उपलब्ध करा दिया गया था ।

माननीय सदस्या के पत्रांक 176/11, दिनांक 11 जुलाई, 2011 एवं स्मारित पत्रांक 249/11, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में बिन्दु (I) एवं (II) में पूछे गये प्रश्नों का विस्तुत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु सहायक, विद्युत् अभियंता, जगदीशपुर (बिहिया) को निदेश दिया गया था । बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यबल की काफी कमी के कारण विस्तृत सूचना ग्रहण करने में समय लगा । फलस्वरूप माननीय विधान-सभा सदस्य को उनके पत्र का उत्तर ससमय नहीं दिया जा सका इसके लिए बोर्ड द्वारा खेद प्रकट किया जाता है । माननीया विधायक के पत्रांक 176, दिनांक 11 जुलाई, 2011 के द्वारा बिन्दु 1 एवं 2 के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा अलग से पत्र भेजा जा रहा है ।

योजना को शामिल करना

ए-28. श्री मनीष कुमार--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में नक्सलवाद के उन्मूलन हेतु केन्द्र सरकार के समेकित कार्य योजना के तहत नक्सल प्रभावित जिलों का चयन कर विकास का कार्य कराया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार का बांका जिला जो उड़ीसा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से सटा हुआ है, वह पूर्णरूपेण नक्सल प्रभावित जिला है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नक्सलवाद के उन्मूलन हेतु बांका जिला को भारत सरकार के समेकित कार्य योजना में शामिल करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) नक्सलवाद के उन्मूलन हेतु केन्द्र सरकार के समेकित कार्य योजना के अन्तर्गत विकास कार्य हेतु जिलों का चयन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है ।

(2) यह सही है कि कुछ भाग नक्सल प्रभावित है ।

(3) बांका जिला का चयन केन्द्र सरकार के द्वारा अबतक समेकित कार्य योजना हेतु नहीं किया गया है । परन्तु बांका जिला में विकास के अन्य सभी कार्यक्रम सघन रूप से राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं ।

सम्पर्क पथ में जोड़ना

रा-7. **श्री मंजीत कुमार सिंह**--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी महादलित टोलों को सम्पर्क पथ से जोड़ने का निदेश वर्ष 2008-09 में सरकार द्वारा दी गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर प्रखंड के 22 पंचायतों, सिधवलिया प्रखंड के 13 पंचायतों एवं बरौली प्रखंड के खजुरिया, हसनपुर, सदौवां, रामपुर, सलेमपुर पूर्वी, सलेमपुर पश्चिम, पिपरा पंचायतों में वर्ष 2008 से अबतक एक भी महादलित टोले को सम्पर्क पथ से नहीं जोड़ा गया है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक महादलित टोले को सम्पर्क पथ से जोड़ना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । अंचल अधिकारी, बैकुण्ठपुर के प्रतिवेदनानुसार 2 पंचायत यथा दिघवा उत्तर, चमनपुरा, अंचल अधिकारी, सिधवलिया के प्रतिवेदनानुसार 4 पंचायत यथा बुचेया, महम्मदपुर, शेर, जलालपुर काला में महादलित टोला को सम्पर्क पथ से जोड़ने का प्रस्ताव है । इसके लिए भू-अर्जन की कार्रवाई की जा रही है । बरौली प्रखंड के वर्णित पंचायतों में महादलित टोला में सम्पर्क पथ के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(3) कंडिका (2) स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

सड़कों का पक्कीकरण

ग्राम्य-55. **श्री नौशाद आलम**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंडान्तर्गत (1) पौआखली-मौजाबाड़ी पी०डब्लू०डी० रोड से गोगरिया तक भाया उत्तर भौलमारा (2) एल०आर०पी० रोड भोगडाबर कलभर्ट से दुल्लैगांव एस०एस०बी० कैम्प तक (3) एल०आर०पी० रोड नूरी चौक से माटीबूरा-काशीबाड़ी होते हुए अण्डावारी तक एवं दिघल बैंक प्रखंडान्तर्गत (i) पदमपुर हाट (मदरसा हाट) से गरबनडांगा भाया तालबाड़ी, टंगटंगी जाने वाली सड़क जर्जर स्थिति में है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन (1) पौआखली-मौजाबाड़ी पी०डब्लू०डी० रोड से गोगरिया तक भाया उत्तर भौलमारा (2) एल०आर०पी० रोड भोगडाबर कलभर्ट से दुल्लैगांव एस०एस०बी० कैम्प तक (3) एल०आर०पी० रोड नूरी चौक से माटीबूरा-काशीबाड़ी होते हुए अण्डाबाड़ी तक सड़क की लम्बाई क्रमशः 4 कि०मी०, 3 कि०मी०, एवं 4.5 कि०मी० तथा दिघल बैंक प्रखंडान्तर्गत पदमपुर हाट (मदरसा हाट) से गरबनडांगा भाया तालाबाड़ी, टंगटंगी जानेवाली सड़क की लम्बाई 3.5 कि०मी० है जो कच्ची सड़क है। प्रश्नाधीन वर्णित पथ की समेकित लम्बाई 15 कि०मी० है। इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है। अभी इस सड़क के जीर्णोद्धार की कोई योजना नहीं है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य-58. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चैनगंज तथा मदारगाछी के मध्य, पावरहाउस तथा धूमगढ़ के मध्य झपरतल के पास माटीखुरा तथा काशीबाड़ी के मध्य आर०सी०सी० पुल नहीं रहने के कारण बरसात के दिनों में आवगमन काफी कठिन हो जाता है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपरोक्त स्थानों पर आर०सी०सी० पुल निर्माण कराने का विचार कबतक रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन चैनगंज तथा मदारगाछी के मध्य, पावरहाउस तथा धूमगढ़ के मध्य झपरतल के पास माटीखुरा तथा काशीबाड़ी के मध्य क्रमशः 20 मी०, 15 मी० तथा 20 मी० की लम्बाई में उच्चस्तरीय पुल निर्माण की आवश्यकता है। इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है। अभी वर्णित स्थलों पर पुल के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-21. श्री पद्म पराग राय वेणु--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड अन्तर्गत मौजा घोड़ाघाट के सरस्वती मंदिर के पास से चिकनी, फकीरना जानेवाली ग्रामीण सड़क का निर्माण आजादी के बाद आजतक नहीं कराया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सड़क निर्माण नहीं होने के कारण यह इलाका आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन अररिया जिले के फारबीसगंज प्रखंड अन्तर्गत मौजा घोड़ाघाट के सरस्वती मंदिर के पास से चिकनी, फकीरना जाने वाली ग्रामीण सड़क की कुल लम्बाई 5.5 कि०मी०

है। इस सड़क के 10 कि०मी० पर परमान नदी अवस्थित है । इस नदी के घोड़ाघाट स्थल पर 250 मीटर की लम्बाई में उच्चस्तरीय पुल निर्माण की आवश्यकता है । प्रश्नाधीन सड़क सहित पुल निर्माण की अनुमानित लागत 1830 लाख (अठारह करोड़ तीस लाख) रुपये है । प्रश्नाधीन सड़क के निर्माण हेतु विभाग द्वारा मुख्य शीर्ष-4515 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना का चयन किया जा चुका है तथा इसके कार्यान्वयन की कार्रवाई की जा रही है ।

पुल का निर्माण

ग्राम्य-20. श्री पद्म पराग राय बेणु--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड अन्तर्गत डोम बाँध में पिपरा घाट के परमान नदी में पुल नहीं बनने के कारण कुर्साकांटा प्रखंड एवं फारबिसगंज प्रखंड के लोगों को 70 कि०मी० घुमकर अररिया होते हुए आना-जाना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस पुल के बन जाने से कुर्साकांटा प्रखंड मुख्यालय एवं फारबिसगंज प्रखंड मुख्यालय की दूरी सिर्फ 18 कि०मी० हो जायेगी;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पिपरा घाट के परमान नदी पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड के अन्तर्गत परमान नदी के डोम बांध में पिपरा घाट पर कुल 80 मीटर की लम्बाई में उच्चस्तरीय पुल निर्माण की आवश्यकता है जिसकी अनुमानित लागत 480 लाख (चार करोड़ अस्सी लाख) रुपये है । मुख्य अभियंता द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता से परमान नदी के डोम बाँध में पिपरा घाट पर पुल निर्माण हेतु टेक्नो फिजिबिलिटी (Techno-Feasiblity) एवं इक्कोनॉमिक फिजिबिलिटी (Economic-Feasiblity) रिपोर्ट तैयार कर समर्पित करने का निदेश दिया गया है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्रवाई पर विचार किया जा सकेगा।

कौशल विकास केन्द्र खोलना

ऐ-1. श्री प्रदीप कुमार--क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के एक भी प्रखंड में कौशल विकास केन्द्र नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिला बिल्कुल पिछड़ा हुआ जिला है, यहां के अधिकांश नौजवानों को प्रशिक्षण के अभाव में रोजगार हेतु अकुशल मजदूर के रूप में भटकना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नवादा जिला के सभी प्रखंडों में एक-एक कौशल विकास केन्द्र स्थापित करवाने की विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में युवाओं के कौशल विकास हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है ।

(2) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिला में सरकार द्वारा एक सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है, जिसमें उक्त जिले के नौजवानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 06 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है ।

(3) उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

जमीन उपलब्ध कराना

रा-2. श्री रामायण मांझी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे बिहार में भूमिहिनों को सरकार द्वारा परती जमीन देने का प्रावधान 2009 में किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि पूरे बिहार में भूमिहिनों को अभीतक सरकार द्वारा परती जमीन 1 कट्ठा भी नहीं उपलब्ध कराया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार में भूमिहिनों को अभीतक परती जमीन उपलब्धन कराने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आँशिक स्वीकारात्मक है । सुयोग्य श्रेणी यथा अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के भूमिहिन परिवारों को वास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में तीन डिसमिल भूमि बन्दोबस्ती करने का प्रावधान विभागीय पत्रांक 1263(6), दिनांक 10 दिसम्बर, 2009 द्वारा किया गया है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । राज्य में प्रारंभ से सितम्बर, 2011 तक अनुसूचित जाति के पाँच लाख बासठ हजार सात सौ चौहत्तर लोगों को कुल तीन लाख बत्तीस हजार सात सौ उनचालिस एकड़ बाइस डिसमिल गैर-मजरूआ मालिक भूमि एवं चौंतीस हजार पाँच सौ सन्तावन अनुसूचित जाति के लोगों के बीच चौदह हजार तीन सौ उनासी एकड़ एकानवे डिसमील गैर-मजरूआ आम भूमि की बंदोबस्ती की गई है । इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के सात सौ पैंतीस लोगों को एक सौ तिरपन एकड़ नब्बे डिसमील गैर-मजरूआ आम भूमि एवं पैंतालिस हजार दो सौ सैंतिस लोगों को उनचास हजार नौ सौ एकासी एकड़ एक डिसमिल गैर-मजरूआ मालिक भूमि की बंदोबस्ती की गयी है । इसके अलावे ग्यारह हजार तीन सौ ग्यारह पिछड़े लोगों को छः हजार एक सौ सतासी एकड़ एकासी डिसमिल गैर-मजरूआ आम भूमि एवं दो लाख चौहत्तर हजार एकतीस पिछड़े लोगों को एक लाख उनहत्तर हजार आठ सौ अठासी एकड़ छियानवे डिसमिल गैर-मजरूआ मालिक भूमि की बंदोबस्ती की गयी है ।

(3) उपरोक्त कंडिका (2) में उत्तर दे दिया गया है ।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-1. श्री रत्नेश सादा--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत प्रखंड सोनबर्षा के मंगला बाजार से महुआ बाजार तक वित्तीय वर्ष 2010-11 में मुख्य मंत्री सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति दी गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि योजना स्वीकृत होने के बावजूद आजतक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ जिसके कारण आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक मंगला बाजार से महुआ बाजार तक सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन सहरसा जिलान्तर्गत प्रखंड सोनवर्षा के मंगला बाजार से महुआ बाजार तक सड़क का निर्माण कार्य प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत तमकुलहा, जमुआ रोड से रमना टोला (पैकेज संख्या बी०आर० 29आर० 73) के नाम से स्वीकृत वर्ष 2009-10 में स्वीकृत है । इस पथ की कुल लम्बाई 1.62 कि०मी० तथा पथ के निर्माण की लागत 111.72 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख बहत्तर हजार) रुपये हैं । यह कार्य मे० कश्यप कन्सट्रक्शन, बेगूसराय को आवंटित है । वर्तमान में संवेदक द्वारा मात्र 0. 75 कि०मी० की लम्बाई में जी०एस०बी० का कार्य किया गया है । कार्य मार्च, 2012 तक पूरा करने हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

विषमता समाप्त करना

खा-7. श्री राम प्रवेश राय--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले में मिट्टी तेल के कुल आठ थोक बिक्रेता हैं, जिसमें सात आई०ओ०सी० तथा एक बी०पी०सी०एल० कम्पनी के हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि जिले के आवंटित कुल मिट्टी तेल आवंटन का आधा हिस्सा केवल एक ही थोक बिक्रेता को सरकार एवं कम्पनियों के द्वारा दिया जाता है, जिसके कारण खुदरा बिक्रेताओं को तेल का उठाव करने में काफी परेशानी होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुज्ञप्तिधारी आठो थोक बिक्रेताओं को बराबर हिस्सा में तेल का आवंटन देकर विषमता समाप्त करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार द्वारा जिले को आवंटित किरासन तेल को जिला पदाधिकारी द्वारा जिला के थोक बिक्रेताओं के बीच विगत तीन माह में किया गया उपावंटन निम्नवत है:--

क्र०	थोक किरासन तेल बिक्रेता का नाम ।	संबद्ध कंपनी का नाम ।	उपावंटित किरासन तेल की मात्रा		
			सितम्बर, 2011	अक्टूबर, 2011	नवम्बर, 2011
1	मे० तारकेश्वर प्र०, महम्मदपुर	बी०पी०सी०	264	276	240
2	मे० राजू राम, बरौली	आई०ओ०सी०	168	192	156
3	मे० सोचराम वि०प्र०, गोपालगंज	आई०ओ०सी०	168	192	168
4	मे० बब्लू पेट्रो०, गोपालगंज	आई०ओ०सी०	168	192	168
5	मे० सोचराम वि०प्र०, सासामुसा	आई०ओ०सी०	168	192	168
6	मे० साहेब ब्रदर्स, मीरगंज	आई०ओ०सी०	180	192	168
7	मे० सत्यदेव ति०, कटेया	आई०ओ०सी०	168	192	168
8	मे० श्रीराम पेट्रो०, विजयीपुर	आई०ओ०सी०	168	192	156

(3) उपर्युक्त कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

सड़क का कालीकरण

ग्राम्य-32. श्री रमेश ऋषिदेव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखंड के सुपौल वेतरणी नहर के पूर्व भाग होते हुए लक्ष्मीनिया गजेन्द्र यादव के घर होते हुए भतनी हाट तक का सड़क का कालीकरण नहीं किया गया है, जिससे आवागमन बाधित रहता है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क का कालीकरण का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमार खंड के सुपौल वेतरणी नहर के पूर्व भाग होते हुए लक्ष्मीनिया गजेन्द्र यादव के घर होते हुए भतनी हाट तक का सड़क की कुल लम्बाई 7 कि०मी० है जो ईट सोलिंग सड़क है । प्रश्नाधीन इस सड़क का निर्माण की अनुमानित लागत 420 लाख (चार करोड़ बीस लाख) रुपये है । इस वित्तीय वर्ष की योजनाओं का चयन किया जा चुका है । इस वित्तीय वर्ष में इसकी निर्माण की योजना नहीं है ।

कार्य प्रमंडल बनाना

ग्राम्य-62. श्री राणा गंगेश्वर सिंह--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा कार्य प्रमंडलों का पुनर्गठन विगत छः माह पूर्व से प्रस्तावित है;

(2) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला में वर्तमान में दो कार्य प्रमंडल समस्तीपुर में एवं दो कार्य प्रमंडल रोसड़ा में है;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में मोहिउद्दीन नगर विधान-सभा क्षेत्र का दो प्रखंड समस्तीपुर कार्य प्रमंडल में एवं एक प्रखंड कार्य प्रमंडल रोसड़ा में है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनता के हित में मोहिउद्दीन नगर में एक नया कार्य प्रमंडल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) स्वीकारात्मक ।

(4) वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के राजस्व अनुमंडल में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल का गठन किये जाने का प्रस्ताव है । भौगोलिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राजस्व अनुमंडल जो अत्यधिक बड़े है उनमें दो कार्य प्रमंडल का गठन करने तथा कुछ राजस्व अनुमंडल जो अत्यंत शहरी क्षेत्र या अत्यंत छोटे हैं, को विलय कर एक कार्य प्रमंडल का गठन का प्रस्ताव है ।

मोहिउद्दीन नगर राजस्व अनुमंडल नहीं है । यह पटोरी राजस्व अनुमंडल में है जो अत्यंत छोटा राजस्व अनुमंडल है ।

अतः मोहिउद्दीन नगर में नये कार्य प्रमंडल बनाने का सम्प्रति कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मानदेय का भुगतान

पंच-2. श्री राहुल कुमार--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज प्रतिनिधियों को मानदेय दिये जाने के प्रावधान के बावजूद जहानाबाद जिले में पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हां, तो क्या सरकार जहानाबाद जिले के पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में जहानाबाद जिले के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सतानवें लाख अठारह हजार आठ सौ रुपये मानदेय के रूप में आवंटित की गयी थी । आवंटन के आलोक में मात्र ग्राम कचहरी से संबंधित राशि का ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2010-11 में जहानाबाद जिले के ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय की राशि आवंटित की जा सकी । वित्तीय वर्ष 2011-12 में मानदेय की स्वीकृति एवं आवंटन प्रक्रियाधीन है ।

पुल का निर्माण

ग्राम्य-41. श्री सबा जफर--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत वैसा प्रखंड के चुन्नीधार में पुल नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि चुन्नीधार में पुल का निर्माण नहीं होने के कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पुल का निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पूर्णियां जिला अंतर्गत वैसा प्रखंड के चुन्नीधार में 10 मीटर की लम्बाई में आर०सी०सी० पुल निर्माण की आवश्यकता है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है । अभी इस पुल के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

एन0एच0 31 से जोड़ना

ग्राम्य-73. श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आजादी के साठ वर्षों के बाद भी खगड़िया जिलान्तर्गत एन०एच० 31 से पसराहा, बजरंगबली स्थान, देवघा, पैकांत, वीरवास, करौउआ, नवटोलिया एवं झीमरी आदि स्थानों को सड़क से नहीं जोड़ा जा सका है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के निर्माण हेतु स्थानीय जनता द्वारा वर्ष 2009 में विभाग से अनुरोध किया गया था;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थानों को एन०एच० 31 से जोड़ना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(2) विभाग को इसकी जानकारी नहीं है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन खगड़िया जिलान्तर्गत एन०एच० 31 से पसराहा, बंजरगबली स्थान, देवधा, पैकांत, वीरवास, करौउआ, नवटोलिया एवं झीमरी आदि स्थानों को जोड़ने वाली सड़क की कुल लम्बाई 23 कि०मी० है । यह कच्ची सड़क है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है । अभी इस सड़क के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

सड़क की मरम्मती

ग्राम्य-9. श्री शिवेश कुमार--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के अगिआँव प्रखंड के संदेश-सहार रोड में नोनउर पुल से लटियरगंज होते हुए करवासिन तक लगभग 2 कि०मी० सड़क 10 वर्षों से अत्यंत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित होता है;

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई लगभग 2 कि०मी० है जिसमें 0.2 कि०मी० पी०सी०सी० पथ अच्छी स्थिति में है, शेष 1.8 कि०मी० अच्छी स्थिति में नहीं है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण की जाने वाली योजनाओं का/मरम्मती की जाने वाली योजनाओं का चयन किया जा चुका है । यह पथ अभी किसी भी योजना में चयनित नहीं है ।

अनुदान देना

द-51. श्री शशि भूषण हजारी--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आरा जिलान्तर्गत कोईलवर के मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर में विगत 3 वर्षों से अनुदान नहीं दिया जा रहा है,जिससे उक्त संस्थान में मनोरोगियों की दवा, जाँच तथा इलाज नहीं हो रहा है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर को अनुदान देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है । वित्तीय वर्ष 2009-10 में मानसिक रोगियों के चिकित्सा हेतु मानसिक स्वास्थ्य एवं सम्बद्ध संस्थान, कोईलवर को स्वास्थ्य विभागीय आवंटन आदेश सं० 49(7)ब, दिनांक 7 अगस्त, 2009 द्वारा रु० 50,00 लाख का सहायक अनुदान की राशि दिया गया था, उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन स्मारित करने के उपरान्त भी उक्त संस्था से अप्राप्त है । सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही वित्त विभाग अगली राशि विमुक्त करने में अपनी सहमति प्रदान करती है ।

(2) वित्तीय वर्ष 2009-10 में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अगली राशि विमुक्त कर दी जायेगी ।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-10. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखंड में जी०टी० रोड ताराडीह से पहाड़पुर भाबा रामपुर सड़क की दूरी 3.00 कि०मी० है, जो जर्जर अवस्था में है;

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ जी०टी० रोड के 480वें कि०मी० के पहले जयभारत इंटरप्राईजेज, ताराडीह से प्रारंभ होकर रामपुर होते हुए पहाड़पुर तक जाती है जिसकी लम्बाई लगभग 3.25 कि०मी० है । प्रश्नाधीन पथ के निर्माण पर लगभग 2 करोड़ रुपया अनुमानित लागत आयेगी । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण की जाने वाली पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है । यह पथ अभी किसी भी योजना में चयनित नहीं है ।

पुल का निर्माण

ग्राम्य-43. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के आजमनगर महानंदा नदी के कारण दो भागों में बंट गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नदी पर पुल नहीं रहने के कारण रोहिया, अरिहाना, वैरिया एवं सिंघौल पंचायत के आम जनता को आजमनगर प्रखंड जाने में काफी कठिनाई हो रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त नदी पर पुल के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा वर्ष 2010 में विभाग से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु आजतक इसपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार रोहिया से आजमनगर के बीच महानन्दा नदी पर पुल का निर्माण कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(4) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन नाबार्ड योजनान्तर्गत कुल 1061 लाख (दस करोड़ एकसठ लाख) रुपये की लागत से कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड अन्तर्गत रोहिया महानन्दा बाँध झाला से गोरदह, अरिहाना होते हुए भोगांव तक पथ निर्माण का कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसके

कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । इस पथ के निर्माण के पश्चात् रोहिया गाँव के पास महानन्दा नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस स्थल के अप्रवाह महानंदा नदी पर झौआ स्थल पर कुल 580 मीटर की लम्बाई में 2270 लाख (बाईस करोड़ सत्तर) रुपये की लागत से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा पुल का निर्माण पूरा किया जा चुका है । इससे स्थानीय जनता के आवागमन में कठिनाई नहीं होगी ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 8--डी०टी०पी०--400